

# कार्यालय उप वन संरक्षक भरतपुर

क्रमांक एफ( )विविध/उवस/2021/ 1226

दिनांक 024/02/21

निमित्त:-

मुख्य वन संरक्षक,  
भरतपुर।

विषय:- Divesion of 0.2652 ha of Forest land in favout of Public Healh Engomeeromg Department City Division Bharatpur for Replacement of old pipe line by Di Pipe line malah Headwarks to Sewar fort to Depol area, Kanjoli Lines at Amn depot Bharatpur, District- Bharatpur, Rajasthan.

विषय:- आपका ई मेल पत्र क्रमांक 695 दिनांक 05.02.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रस्ताव में ऑन लाईन पार्ट-।। में निम्नवत टिप्पणी/ अभिशषां इस कार्यालय से चाही गई है जो कि निम्न प्रकार है:-

1. इस प्रोजेक्ट को Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है और यह पाईप लाइन प्रोजेक्ट केवल इको सेंसिटिव जोन (ESZ) में से होकर गुजर रही है। अतः इसे Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं है।
2. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि इको सेंसिटिव जोन में आने वाली गतविधियां जिला स्तर कमेटी द्वारा ही रेगुलेट की जाती है इनमें Wildlife Clearance की आवश्यकता नहीं होती है। केवल वे प्रोजेक्ट जिनको Environmental Clearance की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रोजेक्ट अगर इको सेंसिटिव जोन में आये तभी उनको Wildlife Clearance चाहिये होती है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता की राय में इस प्रोजेक्ट में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भवदीय,  
*Mohit*

(मोहित गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
भरतपुर